पंचदश बिहार विधान सभा

षोडश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-21.04.2015 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री संजय सिंह टाइगर, स०वि०स० श्री निरंजन राम, स०वि०स० श्री नितिन नवीन, स०वि०स० श्री रामायण मांझी, स०वि०स० श्री कुमार शैलेन्द्र, स०वि०स० श्री सुरेन्द्र मेहता, स०वि०स० श्री कृष्णनंदन पासवान, स०वि०स० श्री अमन कुमार, स०वि०स० श्री शिवेश कुमार, स०वि०स०	"भोजपुर जिलान्तर्गत कोईलवर प्रखंड में वर्ष 1975 में आयी भीषण बाढ़ तथा सोन नदी के कटाव से सुरौंधा टोक के सैकड़ों परिवार बुरी तरह प्रभावित हुए । इनमें से अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति, पिछड़ी जाति तथा अल्पसंख्यक समुदाय के 150 प्रभावित परिवारों को बसने हेतु 5-5 डिसमील जमीन राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई थी जिसपर ये परिवार लगभग 40 वर्षों से कोईलवर नगर पंचायत के सुरौंधा कॉलोनी में आवासित हैं, परन्तु इन परिवारों को अब तक इस जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला है जिससे उनके बीच अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता एवं भय का माहौल बना हुआ है । अतः सुरौंधा कॉलोनी के उक्त आवासित 150 परिवारों को जमीन का मालिकाना हक प्रदान करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	राजस्व एवं भूमि सुधार

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री ललित कुमार यादव, स०वि०स०	"पूर्णियां के परिक्षेत्राधीन महानन्दा तटबंध के उँचीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं ब्रीक सोलिंग कार्य का आवंटन निविदा समिति की मिलीभगत से गलत अनुभव पत्र के आधार पर जिसको इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा०लि०, चंडीगढ़ को दिया गया जबकि मेसर्स उषा किरण कन्स्ट्रक्शन, हैदराबाद के सर्टिफिकेट बिना जाँच किये अमान्य कर दिया गया । कार्यपालक अभियंता कार्यालय, हनुमानगढ़ (राजस्थान) से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में उनके पत्रांक-6716, दिनांक 22.05.2013 में स्पष्ट है कि ब्रीक लाईनिंग एवं सोलिंग भिन्न प्रकृति का कार्य है जिसे लिपिकीय भूलवश एक साथ दर्शाया गया । वस्तुतः कम्पनी को ब्रीक सोलिंग का कार्यानुभव नहीं था जिसे चालाकी एवं जालसाजी से सार्टिफिकेट में शामिल कर वांछित अहर्ता पूरा किया गया । सारे तथ्यों के बावजूद विभागीय संलिप्तता के कारण बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार / झंझारपुर / दरभंगा का 400 करोड़ से अधिक का कार्य भी उन्हें आवंटित कर दिया गया । मानक गुणवत्ता एवं विशिष्टि के अनुरूप कार्य नहीं करने की सूचना बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल-2, झंझारपुर के पत्रांक-509, दिनांक 21.08.2011 तथा अभियंता प्रमुख के पत्रांक-2580, दिनांक 30.09.2011 एवं पत्रांक-218, दिनांक 29.11.2011 द्वारा विभाग को दी गई परन्तु संवेदक के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई । अतः उक्त मामले की उच्चस्तरीय जाँच एवं कार्रवाई हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।"	जल संसाधन

हरेराम मुखिया
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-25/15- 1064 / वि०स०, पटना, दिनांक- 20 अप्रील, 2015 ई० ।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा जल संसाधन विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

20/4/15

(भूषण कुमार झा)
उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-25/15- 1064 / वि०स०, पटना, दिनांक- 20 अप्रील, 2015 ई० ।

प्रति :- उप सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

20/4/15

(भूषण कुमार झा)
उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।